कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in Ph. & Fax No. 07141-234266

क्र0 / मा.चि. / 2163 बैतूल ,दिनांक 13/04/2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन, विभाग
संभाग–2, बैतूल

विषय :– जिला बैतूल के अन्तर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/33438/2018)

संदर्भ :– 1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ–3/लंबित/2022/10–11/982 दिनांक 17.03.2022

2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पृ. क्र./मा.चि./644 दिनांक 21.03.2022

3. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का पृ.क्र./मा.चि./4121 दिनांक 15.07.2021

– – 00 – –

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का कलेक्टर बैतूल को सम्बोधित संदर्भित पत्र (जो आपको भी पृष्ठांकित है) का अवलोकन करे। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। पत्रानुसार विषयांकित प्रकरण में दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल अंतर्गत प्रभावित होने वाली 7.002 हे0 वनभूमि के एवज में अपर कलेक्टर, बैतूल के आदेश क्र./18/अ–19(3)/2017–18/1385 दिनांक 07.02.2018 से मौजा–गोपालपुर, तहसील–घोडाडोंगरी, खसरा नम्बर–1/1, रकबा–267.442 हे. मद बडे झाड़ का जंगल में से रकबा–14.004 हे0 उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तातंरित भूमि रामपुर भतोडी परियोजना मंडल वन विकास निगम, बैतूल के अधीन वन कक्ष क्रमांक 293/411 के अंदर स्थित होने के कारण वन विभाग के पक्ष में उक्त खसरे की हस्तांतरित भूमि का आदेश निरस्त कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया।

आपके द्वारा प्रकरण अंतर्गत अन्यत्र उपयुक्त राजस्व भूमि वर्तमान तक प्रस्तावित नहीं किये जाने कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है। कृपया यथाशीघ्र उपयुक्त राजस्व वनभूमि प्रस्तावित करें ताकि उसकी वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का परीक्षण किया जाकर उपयुक्त होने की दशा में भूमि हस्तातंरण संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। साथ ही प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. /एफ–3/16/2018/10–11/2/506 दिनांक 03.02.2021 से चिन्हित की गई कमीयों की आपके पत्र क्र. /1515 दिनांक 30.06.2021 से की गई पूर्ति का अपने स्तर से सीधे नोड़ल अधिकारी कार्यालय से परीक्षण कराये जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्तम टी.आर.)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ0क्र0 / मा.चि. / 2164 बैतूल, दिनांक 13/04/2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

H:\DM\Draft sudhir\General\DM_Latter (Ram).docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 2 / [illegible] भोपाल, दिनांक [illegible]

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल,
जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।

मानचित्रकार

As per Parivesh Portal

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.)

विषयः– जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 014/2019-BHO/543 दिनांक 13.08.2019

2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल का पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 1886 दि0 16.10.2020

––0––

विषयातंर्गत में आपके द्वारा वेबपोर्टल पर भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में 11 पेंचेस प्रस्तावित वनभूमि के अपलोड किए गए हैं, जिनके ऑनलाईन परीक्षण करने पर पाया गया कि पेंचेस क्रमांक 6, 7, 8 एक–दूसरे पर ओवरलेप हो रहे हैं एवं इन 11 पेंचेस का कुल योग 5.79 हेक्टेयर प्रदर्शित हो रहा है, जो कि प्रस्तावित वनभूमि 7.002 से 1.212 हेक्टेयर कम है।

अतः वेबपोर्टल पर अपलोड भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में वनभूमि के 11 पेंचेस सही नहीं है। इस हेतु आपके कार्यालय से सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित वनभूमि के सभी पेंचेसों की KML फाईल सहित इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें, ताकि सही प्रस्तावित वनभूमि की KML फाईल वेबपोर्टल पर अपलोड की जा सके।

इसके अतिरिक्त आपके द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित सम्पूर्ण भूमि की KML file प्रस्तुत नहीं की है और न ही dam axis तथा spillway को KML file में अंकित किया है। इन कमियों की भी पूर्ति की जावे।

3068
21/12/21

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 2/506 भोपाल, दिनांक 3-2-21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) दक्षिण वनमंडल बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत बैतूल
क्रमांक 4937 दिनांक 20/1/2021

प्रतिलिपि :- व.म.अ. दक्षिण बैतूल सा. वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2, बैतूल

E-mail eewrdbetulmp@rediffmail.com (Fax No. 07141-238148) Phone No. 07141-238350

पत्र क्र. 1515 / कार्य / 2021 बैतूल / दिनाँक 30/06/21

क्र. 1639 02/7/2021

प्रति

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल दक्षिण (सामान्य) बैतूल

वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.)

विषयः– जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय के निर्माण हेतु 7.002हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र कमांक एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 2 / 505 दिनांक 03.02.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा ली गई आपत्तियों 11 वेबपोर्टल पर आपसे किये गये भाग–1 के बिन्दु कमांक C(ii) (a) में 11 पेचेंस में स.क्र. 6,7,8 एक दूसरे पर ओवरलेप हो रहे है, एवं इन 11 पेचेस का कुल योग 5.79हे प्रदर्शित हो रहा है जो कि प्रस्तावित वन भूमि 7.002हे. से 1.212हे. कम है।

उक्त आपत्ति का निराकरण कर पुनः 11 पेचेस KML File वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिनका रकबा 7.002.हे. है। इसके अतिरिक्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के द्वारा ली गई अन्य आपत्ति प्रस्ताव संपूर्ण भूमि की KML File में अंकित किया है प्रकरण में ली गई उक्त आपत्ति के संबंध में लेख है कि प्रकरण के डूब में आ रही संपूर्ण भूमि की KML File तैयार कर वेबपोर्टल पर बिन्दु कमांक C(ii) (a) के 12 पेंच के रूप में अपलोड किया गया है।

अतः प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहपत्रः– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

30/6/2021
(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल

पृ. क्र. 1516 / कार्य / 2021 बैतूल / दिनाँक 30/06/21

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग होशंगाबाद की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भीमपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

30/6/2021
(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141–234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2021/ 4120 बैतूल, दिनांक/ 15/07/2021

प्रति,

कलेक्टर,
बैतूल

विषय :- जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।(प्रकरण क्रमांक/FP/MP/IRRIG/33438/2018)

संदर्भ :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल का पत्र क्रमांक/503 दिनांक 03.02.2021

2- वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल का पृ. पत्र क्रमांक/804 दिनांक 06.02.2021, 1080 दिनांक 19.02.2021 एवं 3162 दिनांक 07.07.2021

3- न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल का आदेश क्रमांक/18/अ-19(3)/2017-18/1385 दिनांक 07.02.2018

4- संभागीय प्रबंधक रामपुर भतोडी परियोजना मंडल वन विकास निगम बैतूल का पत्र क्रमांक/ वविनि/माचि./2021/102 दिनांक 16.04.2021

---00----

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा जारी आदेश अनुसार विषयांकित प्रकरण में दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल अंतर्गत प्रभावित होने वाली 7.002 हे. वनभूमि के एवज में मौजा-गोपालपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नम्बर-1/1 रकबा 267.442 हे. मद बड़े झाड़ का जंगल मद में से खसरा नंबर-1/1 रकबा-14.004 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उत्तर बैतूल (सा.) को हस्तांतरित की गई है।

उक्त हस्तांतरित भूमि का मौका स्थल निरीक्षण उप संभागीय प्रबंधक रामपुर भतोडी परियोजना मंडल वन विकास निगम बैतूल द्वारा दिनांक 12.04.2021 एवं 15.04.2021 को किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय पंचनामा के वनमंडल कार्यालय को संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि रामपुर भतोडी परियोजना मंडल वन विकास निगम बैतूल के अधीन वन कक्ष क्रमांक-293/411 के अंदर स्थित है।

अत: वन विभाग के पक्ष में उक्त खसरे की हस्तांतरित भूमि का आदेश निरस्त कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

15/07

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2021/ 4121 बैतूल,दिनांक/ 15/07/2021

प्रतिलिपि :- 1- वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर आपके संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल